

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या- 23/2018

बउनवान

शिवराज पुत्र बिस्धीलाल जाति-मीणा निवासी-भटवाडा
तहसील-मोंगरोल, जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मोंगरोल

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. पेरोंकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 26.11.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 25.1.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भटवाडा, तहसील-मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 968 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 224/-रुपये अर्थदण्ड एवं तीन माह के सिविल कारावादी प्रदान करने से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर अपील करने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है। निर्णय अंकित किया गया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। आराजी पडी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त कर दिया जावे।

इस निर्णय को अपील में अंकित किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अपील में अंकित अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान पेरोंकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों

को दाहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिकमण नहीं है। आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में केवल आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.1.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 72/17 निर्णय दिनांक 24.3.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 53/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सिविल कारावास की सशर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी को तहसीलदार, मोंगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैक करके उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, मोंगरोल कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल द्वारा पारित निर्णय निरस्त रहने का निर्णय पारित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.01.2018 को पारित किया जाकर लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलेक्टर
मोंगरोल
बारा (उत्तर)

